

उद्योग मंत्रालय
(फा. सं.ए-42012/1/98 ई-IV/सीडीएन)
भारत का राजपत्र
असाधारण
(भाग1-खंड1)
उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 1998

संख्या ए-42012/1/98 ई-IV- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय के तहत विचारार्थ विषय के साथ एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग का गठन दिनांक 02 सितंबर, 1997 के संकल्प संख्या ए-42012/24/91 ई-IV द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात विचारार्थ विषयों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रशुल्क आयोग के संशोधित विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे:

- i. सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्रशुल्क के निर्धारण और प्रशुल्क से संबंधित सभी मामलों के लिए भेजे गए अध्ययन अनुरोध पर उत्पादन, व्यापार और उपभोक्ता सहित विभिन्न क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को देखते हुए विशेषज्ञ निकाय के तौर पर अनुशंसाएं करना। आयोग को एक समग्र प्रशुल्क ढांचा तैयार करना चाहिए तथा प्रशुल्क को युक्तियुक्त बनाने से संबंधित मामलों पर ध्यान देना चाहिए।

- ii. सरकार द्वारा सौंपे गए अध्ययन के अनुसार विश्व व्यापार संगठन ढांचा के भाग के रूप में व्यापारिक भागीदारों से प्राप्त बाजार प्रवेश प्रस्ताव का विवेचनापूर्ण अध्ययन करना और सरकार को इन प्रस्तावों से प्राप्त अवसरों और चुनौतियों के बारे में परामर्श देना।
- iii. एक बहु-विषयक दल के माध्यम से चयनित क्षेत्रों जैसे वस्त्र उद्योग, कृषि, आटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, इस्पात और इंजीनियरी वस्तुओं के संबंध में व्यापक प्रभाव विश्लेषण करना।
- iv. सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अध्ययन के अनुसार प्रशुल्क आयोग सुधार प्रक्रिया को सुगम बनाने और प्रशुल्क को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के अनुरोध के संबंध में अनुशंसा करने के लिए चयनित उद्योगों के लिए अपेक्षित परिवर्तन अवधि की जांच कर सकता है।
- v. सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए अनुरोध के संबंध में आयोग द्वारा चयनित आर्थिक कार्यकलापों के प्रशुल्कीकरण की प्रक्रिया की पहचान करना।
- vi. व्यापारिक भागीदार और प्रतिस्पर्धी देशों के प्रशुल्क में हुए परिवर्तनों की निगरानी करना और पर्याप्त व्यापक स्तर पर प्रशुल्क दरों की सूची का रख-रखाव करना।
- vii. सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करना।
- viii. सरकार को आयोग के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- ix. विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत और अन्य देशों की तुलना में इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में तकनीकी अध्ययन करना।
- x. सरकार द्वारा वस्तुओं और उत्पादों के वर्गीकरण से संबंधित मामलों के अनुरोध पर ऐसी वस्तुओं और उत्पादों पर लागू प्रशुल्क के बारे में परामर्श देना।

हस्ता/-(8/9/1998)
अशोक कुमार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाएं। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सभी की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ता/-(8/9/98)
अशोक कुमार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार